(73)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1421–तीन/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–1–2013 – पारित व्दारा – कलेक्टर, जिला अशोकनगर – प्रकरण कमांक 57/2006–07 स्वमेव निगरानी

नथन सिंह पुत्र लालजी राम
निवासी ग्राम भैलवासा
तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा
कलेक्टर जिला अशोकनगर ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)

(अनावेदक के पैनल अभिभाषक श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(दिनांक 16–फरवरी, 2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 57/2006–07 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–1–202013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सॅक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रकरण कमांक 109/1992–93 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 30–3–1993 से ग्राम भैलवासा स्थित भूमि स.क. 1044/2 रकबा 1–348 है0 में से 0.627 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) आवेदक के हित में व्यवस्थापित की। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने नायब

तहसीलदार के प्रकरण का परीक्षण कर भूमि व्यवस्थापन में अनियमिततायें करने वावत् प्रतिवेदन अपर कलेक्टर अशोकनगर को प्रस्तुत किया, जिस पर से आवेदक के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 102/2002-03 पंजीबद्ध किया गया। यह प्रकरण आदेश दिनांक 8-3-2003 से कलेक्टर गुना को अंतरित किया गया। अशोकनगर के जिला बन जाने के वाद कलेक्टर गुना ने प्रकरण कलेक्टर अशोकनगर को अंतरित किया। फलस्वरूप कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 57/2006-07 स्वमेव निगरानी में दर्ज कर आवेदक की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30-1-2013 पारित करके नायव तहसीलदार ईसागढ़ का आदेश दिनांक 30-3-1993 निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया है कि नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.3.93 के विरूद्ध 6 वर्ष वाद अपर कलेक्टर अशोकनगर के न्यायालय में स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध किये जाने हेतु दिनांक 25-1-99 को आर्डरशीट लिखी गई है । स्वमेव निगरानी अतिविलम्ब से है।

प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यह सही है कि अपर कलेक्टर अशोकनगर के न्यायालय में दिनांक 25-1-99 को आर्डरशीट लिखी गई है परन्तु नायव तहसलदार द्वारा प्रकरण अनियमिततायें करके भूमि व्यवस्थापन करने का तथ्य अपर कलेक्टर अशोकगर के अभिज्ञान में कब आया ? विचार योग्य तथ्य है। कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर का जॉच प्रतिवेदन दिनांक

16-8-1996 संलग्न है जिसमें तदाशय के तथ्य प्रतिवेदन कर नायव तहसीलदार ईसागढ़ व्दारा आदेश दिनांक 30-3-1993 से नियम विरूद्व भूमि व्यवस्थापन का उल्लेख है एंव इसी प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर अशोकनगर ने आर्डरशीट दिनांक 25-1-99 लिखकर स्वमेव निगरानी प्रकरण पंजीबद्व किया है अपर कलेक्टर के अभिज्ञान में यह तथ्य 25-1-99 को आने पर स्वमेव निगरानी इसी तिथि को दर्ज होने से अनुचित विलम्ब नहीं माना जा सकता। इसके वाद आवेदक व्दारा अपर कलेक्टर के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति किये जाने से स्वमेव निगरानी प्रकरण 8-5-2003 को कलेक्टर गुना को हस्तांतरित हुआ एंव 15 अगस्त 2003 को गुना जिला विभाजित होकर अशोकनगर जिला नवगठित होने पर स्वमेव निगरानी प्रकरण कलेक्टर अशोकनगर को दिनांक 10-10-2003 को हस्तांतरित हुआ एंव कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण में सुनवाई कर आलोच्य आदेश पारित किया है जिसके कारण आवेदक के अभिभाषक व्दारा अनुचित विलम्ब वावत् उठाई गई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

5/ प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि जिस सर्वे नंबर की भूमि आवेदक के हित में व्यवस्थापित की गई है वह सर्वे नंबर 1044/2 रकबा 1.448 हैक्टर है जिसमें से आवेदक के हित में 0.627 हैक्टर भूमि का व्यवस्थापन किया गया है। जबकि आवेदक के पास पूर्व से ही 4.235 हैक्टर भूमि है मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र चार -3 की कंडिका 24 में इस प्रकार व्यवस्था दी गई है :-

> भूमियों के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो पहाड़ी अथवा पथरीली असिंचित भूमि के मामले में एक हैक्टर से अधिक न हो , अथवा अन्य प्रकार की असिंचित भूमि के मामले में 1/2 हैक्टर या उससे कम हों और जो किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बंटित नहीं किये जा सकते हैं , भूमि के बेहतर उपयोग की दृष्टि से उससे लगी भूमि के भू-धारी को बंटित किये जा सकेंगे।

प्रकरण के अवलोकन से स्थिति यह है कि :-

1. आवेदक को व्यवस्थापित की गई भूमि पहाड़ी/पथरीली नहीं है अपितु आवेदक ने स्वयं कृषि करना बताने से कृषि योग्य है जो 1/2 हैक्टर (0.500 है.) तक ही व्यवस्थापित करने के नियम है परन्तु नायव तहसीलदार ने 0.627 हैक्टर भूमि का व्यवस्थापन किया है।
2. व्यवस्थापित की गई भूमि आवेदक की भूमि के निकट नहीं है।
3. आवेदक के पास पूर्व से ही 4.235 हैक्टर भूमि है अतएव आवेदक बड़ा कास्तकार होने से भूमि व्यवस्थापन के लिये अपात्र है।
4. आवेदक का भूमि पर बेजा कब्जा मात्र 2 वर्ष का पाया गया है यदि दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना अधिनियम 1984 के अंतर्गत भी भूमि व्यवस्थापन करना माना जाय - आवेदक अपात्र है।

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि कलेक्टर अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 57/2006-07 स्वमेव निगरानी में आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर भूमि व्यवस्थापन हेतु आवेदक अपात्र पाये जाने से आदेश दिनांक 30-1-202013 व्दारा नायव तहसीलदार ईसागढ़ के त्रृटिपूर्ण आदेश दिनांक 30-3-1993 को निरस्त किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 57/2006-07 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-1-202013 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर